**बिहार सरकार**
**गन्ना उद्योग विभाग**

ज्ञाप संख्या–1 / विकास–यो0–229 / 2024 - 102 स्वी0/cc पटना, दिनांक– 01 जुलाई, 2024

प्रेषक,

**अनिल कुमार झा,** भा॰प्र॰से॰,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

**महालेखाकार,**
बिहार, पटना।

विषय : **राज्य योजना अंतर्गत "मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम" की योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 2660.00 लाख रू0 (छब्बीस करोड़ साठ लाख रूपये मात्र) के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार द्वारा राज्य योजनांतर्गत " मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम " के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 2660.00 लाख रू0 (छब्बीस करोड़ साठ लाख रूपये) मात्र रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

(2) गन्ना एक प्रमुख नगदी फसल है। गन्ना फसल के विकास के फलस्वरूप किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में गन्ना उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने का कार्यक्रम शामिल किया गया है। गन्ना के उत्पादन एवं प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के लिए अधिक उत्पादकता देने वाले प्रभेदों को व्यापक पैमाने पर अपनाने की आवश्यकता है। साथ ही गन्ना की खेती के आधुनिक तकनीक के प्रचार प्रसार के लिए अंतरवर्ती फसलों की खेती को अपनाने एवं समय पर कीटव्याधि का नियत्रंण आवश्यक है। आधुनिक कृषि तकनीक में किसानों का प्रशिक्षण आवश्यक है। इन्हीं आवश्यकताओं के दृष्टिगत् यह कार्यक्रम स्वीकृत किया जाता है।

(3) योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–1** तथा कार्यालयवार / संबंद्ध चीनी मिलवार एवं गैर मिल क्षेत्रों के लिए प्रक्षेत्रवार स्वीकृत योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–2** के रूप में संलग्न है।

(4) योजना का कार्यान्वयन सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा चीनी मिलों / खांडसारी मिलों के माध्यम से कराया जाएगा। इस योजनांतर्गत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु संबंधित उप निदेशक, ईख विकास / सहायक निदेशक, ईख विकास एवं उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी। गैर चीनी मिल क्षेत्रों में संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा योजना का कार्यान्वयन पंचायत प्रतिनिधियों के अनुशंसा के आलोक में किया जाएगा। **परिशिष्ट–3** में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेगें। योजनाओं के कार्यान्वयन की समय सीमा 31 मार्च, 2025 तक होगा। योजना कार्यान्वयन में वित्तीय नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित कराने का पूर्ण दायित्व संयुक्त निदेशक, ईख विकास की होगी।

(5) इस योजनांतर्गत लाभार्थियों को राशि का भुगतान सीधे CFMS के माध्यम से किया जाएगा। संबंधित उप निदेशक, ईख विकास / सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा राशि की निकासी कर अपने पदनाम / नाम से खोले गए सरकारी या व्यक्तिगत बैंक खाते में राशि का संधारण नहीं किया जाएगा। योजनांतर्गत श्रेणीवार स्वीकृत राशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए संबंधित चीनी मिल के प्रबंधक / महाप्रबंधक / कार्यपालक अध्यक्ष एवं सहायक निदेशक, ईख विकास पूर्णतः जवाबदेह होंगे।

1/7/2024

(6) संयुक्त निदेशक, ईख विकास समय–समय पर योजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे। सहायक निदेशक, ईख विकास, योजना के शत प्रतिशत जांच एवं धरातलीय क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगें। सहायक निदेशक एवं उप निदेशक, ईख विकास भ्रमण एवं समीक्षा के दौरान पाये जाने वाले त्रुटि को तत्काल संयुक्त निदेशक/ईखायुक्त को प्रतिवेदित करेगें। संबंधित जिलों के जिलाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली ईख विकास की सभी योजनाओं का समीक्षा समय–समय पर किया जा सकेगा। जिला में आयोजित कृषि टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक में भी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

(7) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु गन्ना उद्योग विभाग प्रशासी विभाग होगा और ईखायुक्त योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे। क्षेत्रीय स्तर पर उप निदेशक, ईख विकास अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्ण रूप से जवाबदेह होगें।

(8) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट शीर्षवार उपबंधित राशि एवं विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

| क्रम संख्या | बजट शीर्ष | विषय शीर्ष | उपबंधित राशि (लाख रू0) | निकासी हेतु स्वीकृत राशि/विकलनीय राशि (लाख रू0) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00– लघु शीर्ष– 108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या–45 उप शीर्ष– 0109 ईख विकास विपत्र कोड– 45–2401001080109 | विषय शीर्ष– 33 01 सब्सिडी | 2909.52 | 2122.80 |
| | | विषय शीर्ष–20 02 कान्फ्रेंस, सेमिनार एवं कार्यशाला | 60.00 | 60.00 |
| | | विषय शीर्ष–20 03 प्रशिक्षण व्यय | 25.00 | 25.00 |
| 2. | मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00 लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग संख्या–45–उपशीर्ष–0108–ईख विकास विपत्र कोड संख्या–45–2401007890108 | विषय शीर्ष– 33 01 सब्सिडी | 601.60 | 425.60 |
| 3. | मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00 लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांग संख्या–45–उपशीर्ष–0129–ईख विकास विपत्र कोड संख्या–45–2401007960129 | विषय शीर्ष– 33 01 सब्सिडी | 48.88 | 26.60 |
| | योग– | | **3645.00** | **2660.00** |

(9). योजना कार्यान्वयन हेतु विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश **परिशिष्ट–4** के रूप में संलग्न है। प्रशासी विभाग द्वारा आवश्यकता होने पर कार्यान्वयन अनुदेश में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकेगा। योजनाओं में शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय लक्ष्य के अधीन योजनाओं के भौतिक लक्ष्य में अंतर परिवर्तन किया जा सकेगा।

(10). इस योजनांतर्गत अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन/रसीद का प्रपत्र **परिशिष्ट–5, 6, 7** के रूप में संलग्न है। इस योजनांतर्गत अवयववार वित्तीय लक्ष्य के अंतर्गत ही भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी।

(11). इस योजनांतर्गत किसानों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य आवश्यक प्रक्रिया Online Portal के माध्यम से किये जाने हेतु साफ्टवेयर निर्माण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साफ्टवेयर तैयार होने के उपरान्त ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति एवं अन्य प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे। सॉफ्टवेयर निर्माण नहीं होने की स्थिति में आवेदन प्राप्ति की प्रक्रिया ऑफलाईन रहेगी। ऑफलाईन की स्थिति में लाभ प्राप्त करने वाले कृषकों के चयन हेतु संबंधित चीनी मिलों में एक काउन्टर खोलकर विहित प्रपत्र

में आवेदन ऑफलाईन प्राप्त करने की व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु विभाग के स्तर से योजना की जानकारी हेतु विज्ञापन का प्रकाशन कराया जाएगा।

**(12)** यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561(वि0)2 दि0–17.04.98 के आलोक में स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत राशि के विरूद्ध वित्त विभाग, बिहार द्वारा विमुक्त किए गए राशि के अधीन आवंटन निर्गत किया जा सकेगा।

**(13)** प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश पर माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार का अनुमोदन संचिका सं0–01/विकास– यो0–229/2024 के पृष्ठ सं0–06/टि॰ पर प्राप्त है।

**(14)** प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश पर माननीय मंत्री, वित्त विभाग, बिहार का अनुमोदन संचिका सं0–01/विकास– यो0–229/2024 के पृष्ठ सं0–14/टि॰ पर प्राप्त है।

**(15)** स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका सं0–01/विकास–यो0–229/24 के पृष्ठ सं0–14/टि॰ पर प्राप्त है।

**(16)** स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–01/विकास–यो0–229/24 के पृष्ठ सं0–15/टि॰ पर प्राप्त है।

**(17)** वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अनुलग्नक–यथोक्तः

विश्वसभाजन
1/7/2024
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–229/2024– 102 स्वी0/CC                पटना, दिनांक– 01 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/बेतिया/मोतीहारी/सीतामढ़ी/सिवान/समस्तीपुर/भागलपुर/पूर्णियाँ/गया/दरभंगा/भोजपुर/जमुई/मुजफ्फरपुर/सहरसा/भोजपुर (आरा)/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/7/2024
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–229/2024– 102 स्वी0/CC                पटना, दिनांक– 01 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतिहारी एवं पटना/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/महाप्रबंधक, प्रतापपुर चीनी मिल/सचिव, बिस्मा/संबंधित के॰भी॰के॰/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम, बिहार, पटना/राज्य के कृषि विश्वविघालय/राष्ट्रीय बीज निगम (NSC)/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1/7/2024
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–229/2024– पटना, दिनांक– जुलाई, 2024

प्रतिलिपि– सभी जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ–क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/निदेशक, बिहार स्टेट सीड एण्ड आर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेन्सी (बसोका), मीठापुर, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/7/2024

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–229/2024– पटना, दिनांक– जुलाई, 2024

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग एवं सचिव, कृषि के आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

1/7/2024

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–1

| वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम का स्वीकृत कार्य योजना | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र0सं0 | कार्य अवयव | ईकाई | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम (विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी) – | | | |
| 1.1 | प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहन राशि @ 2.50 लाख प्रति हे0 | हे0 | 35 | 87.50000 |
| 1.2 | आधार बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि @ 60,000 रू0 प्रति हे0 | हे0 | 350 | 210.00000 |
| 1.3 | प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम @ 50 रू0 प्रति क्वींटल | क्वी0 | 620000 | 310.00000 |
| 1.4 | गन्ना के चयनित प्रभेदों के प्रमाणित बीज पर क्रय अनुदान @ 210 रू0/क्वींटल (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों हेतु 240 रू0/क्वींटल) | क्वी0 | 620000 | 1333.62000 |
| 1.5 | गन्ना के साथ मसूर/राई/सरसों फसल की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 800 रू0 प्रति एकड़ | एकड़ | 2490 | 19.92000 |
| 1.6 | गन्ना के साथ गर्मा मूंग फसल की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम अधिकतम 800 रू0 प्रति एकड़ | एकड़ | 3000 | 24.00000 |
| 1.7 | गन्ना फसल को बोरर कीट एवं अन्य कीटों तथा बिमारियों से बचाव हेतु कीटनाशक/फफूंदनाशक रसायन के प्रयोग पर उसके मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 2,500 रू0 प्रति हे0 के दर से गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान भुगतान | हे0 | 10000 | 250.00000 |
| 1.8 | कार्बनिक उर्वरक (बॉयो कम्पोस्ट) के क्रय पर अनुदान मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 150 रू0 प्रति क्वी0 (25 क्वीं0 प्रति हे0) यानि 3750 रू0 प्रति हे0 | हे0 | 2000 | 75.00000 |
| 1.9 | बड चिप/सिंगल बड पद्धति से नर्सरी तैयार कर गन्ना रोपाई का एक एकड़ में प्रत्यक्षण (10000 पौध प्रति एकड़) @ अधिकतम 15,000 रू0 प्रति प्रत्यक्षण | संख्या | 350 | 52.50000 |
| 1.10 | SRI, Pusa द्वारा " Monitoring and Advisory Services for Sugarcane in Bihar (MAAS) " के कार्यान्वियन हेतु प्रथम वर्ष के लिए राशि | संख्या | 1 | 24.46000 |
| 1.11 | NIC, Patna द्वारा विकसित किए जा रहे " Design & Development of Sugarcane Management Portal " के Maintanance & Add-on Services हेतु प्रावधानित राशि | – | – | 78.00000 |
| | योग (1) – | | | **2465.00000** |
| 2 | प्रशिक्षण कार्यक्रम– | | | |
| 2.1 | एकदिवसीय राज्यस्तरीय सेमिनार/कार्यशाला @ 30.00 लाख रू0 प्रति सेमिनार (विषय शीर्ष 20 02 कान्फ्रेंस, सेमिनार एवं कार्यशाला) | संख्या | 2 | 60.00000 |
| 2.2 | विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में भ्रमण एवं प्रशिक्षण (विषय शीर्ष 20 03 प्रशिक्षण व्यय) | – | – | 25.00000 |
| 2.3 | प्रगतिशील गन्ना कृषकों का (20 किसानों का दल) 7–10 दिवस के लिए तीन लाख रू0 प्रति प्रशिक्षण की दर से राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण (विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी) | संख्या | 20 | 60.00000 |
| 2.4 | 40 कृषकों के लिए एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण @ 10,000 रू0 प्रति प्रशिक्षण (विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी) | संख्या | 500 | 50.00000 |
| | **Total (1+2+3) -** | | | **2660.00000** |

(छब्बीस करोड़ साठ लाख) रू0 मात्र।

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–2 (पृ0–1)

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम 2024–25 अंतर्गत चीनी मिल एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र के कार्यालयवार एवं संबद्ध चीनी मिलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)

| क्र0 सं0 | कार्यालय का नाम | संबद्ध चीनी मिल का नाम | त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम (विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहन राशि @ 2.50 लाख प्रति हे0 | | | | | | | | आधार बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि @ 60,000 रू0 प्रति हेक्टेयर | | | | | | | | प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम @ 50 रू0 प्रति क्वींटल | | | | | | | |
| | | | सामान्य | | अनु0 जाति | | अनु0 जनजाति | | योग | | सामान्य | | अनु0 जाति | | अनु0 जनजाति | | योग | | सामान्य | | अनु0 जाति | | अनु0 जनजाति | | योग | |
| | | | भौतिक (हे0 में) | वित्तीय | भौतिक (हे0 में) | वित्तीय | भौतिक (हे0 में) | वित्तीय | भौतिक (हे0 में) | वित्तीय | भौतिक (हे0 में) | वित्तीय | भौतिक (हे0 में) | वित्तीय | भौतिक (हे0 में) | वित्तीय | भौतिक (हे0 में) | वित्तीय | भौतिक (क्वी0 में) | वित्तीय | भौतिक (क्वी0 में) | वित्तीय | भौतिक (क्वी0 में) | वित्तीय | भौतिक (क्वी0 में) | वित्तीय |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा | तिरूपति सुगर मिल्स लि0, बगहा, प0 चम्पारण | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 54 | 32.40000 | 11 | 6.60000 | 0 | 0.00000 | 65 | 39.00000 | 74700 | 37.35000 | 14400 | 7.20000 | 900 | 0.45000 | 90000 | 45.00000 |
| 2 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा | हरिनगर सुगर मिल्स लि0, हरिनगर, प0 चम्पारण | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 67 | 40.20000 | 13 | 7.80000 | 0 | 0.00000 | 80 | 48.00000 | 141100 | 70.55000 | 27200 | 13.60000 | 1700 | 0.85000 | 170000 | 85.00000 |
| 3 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा | एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, लौरिया। | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 5 | 3.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 5 | 3.00000 | 4980 | 2.49000 | 960 | 0.48000 | 60 | 0.03000 | 6000 | 3.00000 |
| 4 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया | जयश्री सुगर इण्डस्ट्रीज, मंझौलिया, प0 चम्पारण | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 34 | 20.40000 | 6 | 3.60000 | 0 | 0.00000 | 40 | 24.00000 | 75530 | 37.76500 | 14560 | 7.28000 | 910 | 0.45500 | 91000 | 45.50000 |
| 5 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया | न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज, प0 चम्पारण | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 13 | 7.80000 | 2 | 1.20000 | 0 | 0.00000 | 15 | 9.00000 | 4980 | 2.49000 | 960 | 0.48000 | 60 | 0.03000 | 6000 | 3.00000 |
| 6 | सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी | एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, सुगौली | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 5 | 3.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 5 | 3.00000 | 9960 | 4.98000 | 1920 | 0.96000 | 120 | 0.06000 | 12000 | 6.00000 |
| 7 | सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज | भारत सुगर मिल, सिधवलिया | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 16 | 9.60000 | 4 | 2.40000 | 0 | 0.00000 | 20 | 12.00000 | 45650 | 22.82500 | 8800 | 4.40000 | 550 | 0.27500 | 55000 | 27.50000 |
| 8 | सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज | विष्णु सुगर मिल्स लि0, गोपालगंज | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 21 | 12.60000 | 4 | 2.40000 | 0 | 0.00000 | 25 | 15.00000 | 103750 | 51.87500 | 20000 | 10.00000 | 1250 | 0.62500 | 125000 | 62.50000 |
| 9 | सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 8 | 4.80000 | 2 | 1.20000 | 0 | 0.00000 | 10 | 6.00000 | 30959 | 15.47950 | 5968 | 2.98400 | 373 | 0.18650 | 37300 | 18.65000 |
| 10 | सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर | हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 34 | 20.40000 | 6 | 3.60000 | 0 | 0.00000 | 40 | 24.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 11 | सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 8 | 4.80000 | 2 | 1.20000 | 0 | 0.00000 | 10 | 6.00000 | 6225 | 3.11250 | 1200 | 0.60000 | 75 | 0.03750 | 7500 | 3.75000 |
| 12 | सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान | बजाज हिन्दुस्तान सुगर मिल, प्रतापपुर | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 21 | 12.60000 | 4 | 2.40000 | 0 | 0.00000 | 25 | 15.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 13 | सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0.5 | 0.30000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 1 | 0.30000 | 2490 | 1.24500 | 480 | 0.24000 | 30 | 0.01500 | 3000 | 1.50000 |
| 14 | सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 3.0 | 1.80000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 3 | 1.80000 | 3486 | 1.74300 | 672 | 0.33600 | 42 | 0.02100 | 4200 | 2.10000 |
| 15 | सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 1.0 | 0.60000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 1 | 0.60000 | 2407 | 1.20350 | 464 | 0.23200 | 29 | 0.01450 | 2900 | 1.45000 |
| 16 | सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 1.0 | 0.60000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 1 | 0.60000 | 2158 | 1.07900 | 416 | 0.20800 | 26 | 0.01300 | 2600 | 1.30000 |
| 17 | सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 1.0 | 0.60000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 1 | 0.60000 | 2698 | 1.34900 | 520 | 0.26000 | 32 | 0.01600 | 3250 | 1.62500 |
| 18 | सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा) | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 1.0 | 0.60000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 1 | 0.60000 | 996 | 0.49800 | 192 | 0.09600 | 12 | 0.00600 | 1200 | 0.60000 |
| 19 | सहायक निदेशक, ईख विकास, गया | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0.5 | 0.30000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 1 | 0.30000 | 291 | 0.14550 | 56 | 0.02800 | 3 | 0.00150 | 350 | 0.17500 |
| 20 | सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 2.0 | 1.20000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 2 | 1.20000 | 2240 | 1.12000 | 432 | 0.21600 | 28 | 0.01400 | 2700 | 1.35000 |
| 21 | उप निदेशक, ईख विकास, पटना | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 22 | उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 23 | उप निदेशक, ईख विकास, पूसा | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 24 | उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना | – | 35 | 87.50000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 35 | 87.50000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| | योग– | | 35 | 87.50000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 35 | 87.50000 | 296 | 177.60000 | 54 | 32.40000 | 0 | 0.00000 | 350 | 210.00000 | 514600 | 257.30000 | 99200 | 49.60000 | 6200 | 3.10000 | 620000 | 310.00000 |

परिशिष्ट–2 (पृ0–2)

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम 2024–25 अंतर्गत चीनी मिल एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र के कार्यालयवार एवं संबद्ध चीनी मिलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)

त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम (विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी)

| क्र0 सं0 | कार्यालय का नाम | संबद्ध चीनी मिल का नाम | गन्ना के चयनित प्रभेदों का अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण बीज क्रय अनुदान 210 रू0/क्वींटल (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों हेतु 240 रू0/क्वींटल) | | | | | | | | गन्ना के साथ प्रमाणित बीज से मसूर/राई/सरसों की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान बीज मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 8,00 रू0 प्रति एकड़ | | | | | | | | गन्ना के साथ प्रमाणित बीज से गर्मा मूंग फसलों की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान बीज मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 8,00 रू0 प्रति एकड़ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामान्य @ 210 रू0 | | अनु0 जाति @ 240 रू0 | | अनु0 जनजाति @ 240 रू0 | | योग | | सामान्य | | अनु0 जाति | | अनु0 जनजाति | | योग | | सामान्य | | अनु0 जाति | | अनु0 जनजाति | | योग | |
| | | | भौतिक (क्वी0 में) | वित्तीय | भौतिक (क्वी0 में) | वित्तीय | भौतिक (क्वी0 में) | वित्तीय | भौतिक (क्वी0 में) | वित्तीय | भौतिक (एकड़) | वित्तीय | भौतिक (एकड़) | वित्तीय | भौतिक (एकड़) | वित्तीय | भौतिक (एकड़) | वित्तीय | भौतिक (एकड़) | वित्तीय | भौतिक (एकड़) | वित्तीय | भौतिक (एकड़) | वित्तीय | भौतिक (एकड़) | वित्तीय |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 1 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा | तिरूपति सुगर मिल्स लि0, बगहा, प0 चम्पारण | 74700 | 156.87000 | 14400 | 34.56000 | 900 | 2.16000 | 90000 | 193.59000 | 488 | 3.90400 | 94 | 0.75200 | 8 | 0.06400 | 590 | 4.72000 | 320 | 2.56000 | 64 | 0.51200 | 16 | 0.12800 | 400 | 3.20000 |
| 2 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा | हरिनगर सुगर मिल्स लि0, हरिनगर, प0 चम्पारण | 141100 | 296.31000 | 27200 | 65.28000 | 1700 | 4.08000 | 170000 | 365.67000 | 496 | 3.96800 | 96 | 0.76800 | 8 | 0.06400 | 600 | 4.80000 | 406 | 3.24800 | 80 | 0.64000 | 14 | 0.11200 | 500 | 4.00000 |
| 3 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा | एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, लौरिया। | 4980 | 10.45800 | 960 | 2.30400 | 60 | 0.14400 | 6000 | 12.90600 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 4 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया | जयश्री सुगर इण्डस्ट्रीज, मंझौलिया, प0 चम्पारण | 75530 | 158.61300 | 14560 | 34.94400 | 910 | 2.18400 | 91000 | 195.74100 | 168 | 1.34400 | 32 | 0.25600 | 0 | 0.00000 | 200 | 1.60000 | 336 | 2.68800 | 64 | 0.51200 | 0 | 0.00000 | 400 | 3.20000 |
| 5 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया | न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज, प0 चम्पारण | 4980 | 10.45800 | 960 | 2.30400 | 60 | 0.14400 | 6000 | 12.90600 | 84 | 0.67200 | 16 | 0.12800 | 0 | 0.00000 | 100 | 0.80000 | 168 | 1.34400 | 32 | 0.25600 | 0 | 0.00000 | 200 | 1.60000 |
| 6 | सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी | एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, सुगौली | 9960 | 20.91600 | 1920 | 4.60800 | 120 | 0.28800 | 12000 | 25.81200 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 7 | सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज | भारत सुगर मिल, सिधवलिया | 45650 | 95.86500 | 8800 | 21.12000 | 550 | 1.32000 | 55000 | 118.30500 | 168 | 1.34400 | 32 | 0.25600 | 0 | 0.00000 | 200 | 1.60000 | 336 | 2.68800 | 64 | 0.51200 | 0 | 0.00000 | 400 | 3.20000 |
| 8 | सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज | विष्णु सुगर मिल्स लि0, गोपालगंज | 103750 | 217.87500 | 20000 | 48.00000 | 1250 | 3.00000 | 125000 | 268.87500 | 248 | 1.98400 | 48 | 0.38400 | 4 | 0.03200 | 300 | 2.40000 | 420 | 3.36000 | 80 | 0.64000 | 0 | 0.00000 | 500 | 4.00000 |
| 10 | सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी | – | 30959 | 65.01390 | 5968 | 14.32320 | 373 | 0.89520 | 37300 | 80.23230 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 11 | सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर | हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 415 | 3.32000 | 80 | 0.64000 | 5 | 0.04000 | 500 | 4.00000 | 504 | 4.03200 | 96 | 0.76800 | 0 | 0.00000 | 600 | 4.80000 |
| 12 | सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर | – | 6225 | 13.07250 | 1200 | 2.88000 | 75 | 0.18000 | 7500 | 16.13250 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 13 | सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान | बजाज हिन्दुस्तान सुगर मिल, प्रतापपुर | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 14 | सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर | – | 2490 | 5.22900 | 480 | 1.15200 | 30 | 0.07200 | 3000 | 6.45300 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 15 | सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा | – | 3486 | 7.32060 | 672 | 1.61280 | 42 | 0.10080 | 4200 | 9.03420 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 16 | सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा | – | 2407 | 5.05470 | 464 | 1.11360 | 29 | 0.06960 | 2900 | 6.23790 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 17 | सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया | – | 2158 | 4.53180 | 416 | 0.99840 | 26 | 0.06240 | 2600 | 5.59260 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 18 | सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई | – | 2698 | 5.66580 | 520 | 1.24800 | 32 | 0.07680 | 3250 | 6.99060 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 19 | सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा) | – | 996 | 2.09160 | 192 | 0.46080 | 12 | 0.02880 | 1200 | 2.58120 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 20 | सहायक निदेशक, ईख विकास, गया | – | 291 | 0.61110 | 56 | 0.13440 | 3 | 0.00720 | 350 | 0.75270 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 21 | सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना | – | 2240 | 4.70400 | 432 | 1.03680 | 28 | 0.06720 | 2700 | 5.80800 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 22 | उप निदेशक, ईख विकास, पटना | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 23 | उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 24 | उप निदेशक, ईख विकास, पूसा | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 25 | उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| | योग– | | 514600 | 1080.66000 | 99200 | 238.08000 | 6200 | 14.88000 | 620000 | 1333.62000 | 2067 | 16.53600 | 398 | 3.18400 | 25 | 0.20000 | 2490 | 19.92000 | 2490 | 19.92000 | 480 | 3.84000 | 30 | 0.24000 | 3000 | 24.00000 |

P-2 for Sanction MGVY 24-25-4

परिशिष्ट–2 (पृ0–3)

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम 2024–25 अंतर्गत चीनी मिल एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र के कार्यालयवार एवं संबद्ध चीनी मिलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)

| क्र0 सं0 | कार्यालय का नाम | संबद्ध चीनी मिल का नाम | त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम (विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | गन्ना फसल को बोरर कीट एवं अन्य कीटों तथा बिमारियों से बचाव हेतु कीटनाशक/फफूंदनाशक रसायन के प्रयोग पर उसके मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 2,500 रू0 प्रति हे0 के दर से गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान भुगतान | | | | | | | | कार्बनिक उर्वरक (बॉयो कम्पोस्ट) के क्रय पर अनुदान मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 150 रू0 प्रति क्वी0 (25 क्वी0 प्रति हे0) यानि 3750 रू0 प्रति हे0 | | | | | | | | बड चिप/सिंगल बड पद्धति से नर्सरी तैयार कर गन्ना रोपाई का एक एकड़ में प्रत्यक्षण (10000 पौध प्रति एकड़) @ अधिकतम 15,000 रू0 प्रति प्रत्यक्षण | | | | | | | |
| | | | सामान्य | | अनु0 जाति | | अनु0 जनजाति | | योग | | सामान्य | | अनु0 जाति | | अनु0 जनजाति | | योग | | सामान्य | | अनु0 जाति | | अनु0 जनजाति | | योग | |
| | | | भौतिक (हे0) | वित्तीय | भौतिक (हे0) | वित्तीय | भौतिक (हे0) | वित्तीय | भौतिक (हे0) | वित्तीय | भौतिक (हे0) | वित्तीय | भौतिक (हे0) | वित्तीय | भौतिक (हे0) | वित्तीय | भौतिक (हे0) | वित्तीय | भौतिक (सं0) | वित्तीय | भौतिक (सं0) | वित्तीय | भौतिक (सं0) | वित्तीय | भौतिक (सं0) | वित्तीय |
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 1 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा | तिरूपति सुगर मिल्स लि0, बगहा, प0 चम्पारण | 1245 | 31.12500 | 240 | 6.00000 | 15 | 0.37500 | 1500 | 37.50000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 41 | 6.15000 | 8 | 1.20000 | 1 | 0.15000 | 50 | 7.50000 |
| 2 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा | हरिनगर सुगर मिल्स लि0, हरिनगर, प0 चम्पारण | 2075 | 51.87500 | 400 | 10.00000 | 25 | 0.62500 | 2500 | 62.50000 | 830 | 31.12500 | 160 | 6.00000 | 10 | 0.37500 | 1000 | 37.50000 | 41 | 6.15000 | 8 | 1.20000 | 1 | 0.15000 | 50 | 7.50000 |
| 3 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा | एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, लौरिया। | 83 | 2.07500 | 16 | 0.40000 | 1 | 0.02500 | 100 | 2.50000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 4 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया | जयश्री सुगर इण्डस्ट्रीज, मंझौलिया, प0 चम्पारण | 830 | 20.75000 | 160 | 4.00000 | 10 | 0.25000 | 1000 | 25.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 41 | 6.15000 | 8 | 1.20000 | 1 | 0.15000 | 50 | 7.50000 |
| 5 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया | न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज, प0 चम्पारण | 415 | 10.37500 | 80 | 2.00000 | 5 | 0.12500 | 500 | 12.50000 | 332 | 12.45000 | 64 | 2.40000 | 4 | 0.15000 | 400 | 15.00000 | 41 | 6.15000 | 8 | 1.20000 | 1 | 0.15000 | 50 | 7.50000 |
| 6 | सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी | एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, सुगौली | 166 | 4.15000 | 32 | 0.80000 | 2 | 0.05000 | 200 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 7 | सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज | भारत सुगर मिल, सिधवलिया | 830 | 20.75000 | 160 | 4.00000 | 10 | 0.25000 | 1000 | 25.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 42 | 6.30000 | 8 | 1.20000 | 0 | 0.00000 | 50 | 7.50000 |
| 8 | सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज | विष्णु सुगर मिल्स लि0, गोपालगंज | 1245 | 31.12500 | 240 | 6.00000 | 15 | 0.37500 | 1500 | 37.50000 | 498 | 18.67500 | 96 | 3.60000 | 6 | 0.22500 | 600 | 22.50000 | 42 | 6.30000 | 8 | 1.20000 | 0 | 0.00000 | 50 | 7.50000 |
| 10 | सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी | – | 125 | 3.12500 | 24 | 0.60000 | 1 | 0.02500 | 150 | 3.75000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 11 | सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर | हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर | 1245 | 31.12500 | 240 | 6.00000 | 15 | 0.37500 | 1500 | 37.50000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 42 | 6.30000 | 8 | 1.20000 | 0 | 0.00000 | 50 | 7.50000 |
| 12 | सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर | – | 41 | 1.02500 | 8 | 0.20000 | 1 | 0.02500 | 50 | 1.25000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 13 | सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान | बजाज हिन्दुस्तान सुगर मिल, प्रतापपुर | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 14 | सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 15 | सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 16 | सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 17 | सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 18 | सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 19 | सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा) | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 20 | सहायक निदेशक, ईख विकास, गया | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 21 | सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 22 | उप निदेशक, ईख विकास, पटना | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 23 | उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 24 | उप निदेशक, ईख विकास, पूसा | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 25 | उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना | – | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| | योग– | | 8300 | 207.50000 | 1600 | 40.00000 | 100 | 2.50000 | 10000 | 250.00000 | 1660 | 62.25000 | 320 | 12.00000 | 20 | 0.75000 | 2000 | 75.00000 | 290 | 43.50000 | 56 | 8.40000 | 4 | 0.60000 | 350 | 52.50000 |

P-2 for Sanction MGVY 24-25-4

परिशिष्ट–2 (पृ0–4)

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम 2024–25 अंतर्गत चीनी मिल एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र के कार्यालयवार एवं संबद्ध चीनी मिलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)

| क्र0सं0 | कार्यालय का नाम | संबद्ध चीनी मिल का नाम | त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम (विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी) | | | | | | | | (विषय शीर्ष 20 02 कान्फ्रेंस, सेमिनार एवं कार्यशाला) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SRI, Pusa द्वारा " Monitoring and Advisory Services for Sugarcane in Bihar (MAAS) " के कार्यान्वयन हेतु प्रथम वर्ष के लिए राशि | | | | NIC, Patna द्वारा विकसित किए जा रहे " Design & Development of Sugarcane Management Portal " के Maintanance & Add-on Services हेतु प्राक्धानित राशि | | | | एकदिवसीय राज्यस्तरीय सेमिनार/कार्यशाला @ 30.00 लाख रू0 प्रति सेमिनार | | | |
| | | | सामान्य | अनु0 जाति | अनु0 जनजाति | योग | सामान्य | अनु0 जाति | अनु0 जनजाति | योग | सामान्य | | योग | |
| | | | वित्तीय | वित्तीय | वित्तीय | वित्तीय | वित्तीय | वित्तीय | वित्तीय | वित्तीय | भौतिक (सं0) | वित्तीय | भौतिक (सं0) | वित्तीय |
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 1 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा | तिरूपति सुगर मिल्स लि0, बगहा, प0 चम्पारण | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 2 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा | हरिनगर सुगर मिल्स लि0, हरिनगर, प0 चम्पारण | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 3 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा | एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, लौरिया। | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 4 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया | जयश्री सुगर इण्डस्ट्रीज, मंझौलिया, प0 चम्पारण | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 5 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया | न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज, प0 चम्पारण | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 6 | सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी | एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, सुगौली | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 7 | सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज | भारत सुगर मिल, सिधवलिया | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 8 | सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज | विष्णु सुगर मिल्स लि0, गोपालगंज | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 10 | सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 11 | सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर | हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 12 | सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 13 | सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान | बजाज हिन्दुस्तान सुगर मिल, प्रतापपुर | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 14 | सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 15 | सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 16 | सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 17 | सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 18 | सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 19 | सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा) | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 20 | सहायक निदेशक, ईख विकास, गया | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 21 | सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 22 | उप निदेशक, ईख विकास, पटना | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 | 60.00000 | 2 | 60.00000 |
| 23 | उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 24 | उप निदेशक, ईख विकास, पूसा | – | 6.17000 | 14.46000 | 3.83000 | 24.46000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 25 | उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 62.36400 | 15.63600 | 0.00000 | 78.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| | योग– | | 6.17000 | 14.46000 | 3.83000 | 24.46000 | 62.36400 | 15.63600 | 0.00000 | 78.00000 | 2 | 60.00000 | 2 | 60.00000 |

परिशिष्ट–2 (पृ0–5)

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम 2024–25 अंतर्गत चीनी मिल एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र के कार्यालयवार एवं संबद्ध चीनी मिलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)

| क्र0 सं0 | कार्यालय का नाम | संबद्ध चीनी मिल का नाम | (विषय शीर्ष 20 03 प्रशिक्षण व्यय) विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में भ्रमण एवं प्रशिक्षण | | | | प्रशिक्षण कार्यक्रम (विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी) प्रगतिशील गन्ना कृषकों का (20 किसानों का दल) 7–10 दिवस के लिए तीन लाख रू0 प्रति प्रशिक्षण की दर से राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण | | | | 40 कृषकों के लिए एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण @ 10,000 रू0 प्रति प्रशिक्षण | | | | | | | | कुल योग | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामान्य | अनु0 जाति | अनु0 जनजाति | योग | सामान्य | अनु0 जाति | अनु0 जनजाति | योग | सामान्य | | अनु0 जाति | | अनु0 जनजाति | | योग | | सामान्य | अनु0 जाति | अनु0 जनजाति | योग |
| | | | वित्तीय | वित्तीय | वित्तीय | वित्तीय | वित्तीय | वित्तीय | वित्तीय | वित्तीय | भौतिक (सं0) | वित्तीय | भौतिक (सं0) | वित्तीय | भौतिक (सं0) | वित्तीय | भौतिक (सं0) | वित्तीय | वित्तीय | वित्तीय | वित्तीय | वित्तीय |
| 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
| 1 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा | तिरूपति सुगर मिल्स लि0, बगहा, प0 चम्पारण | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 48 | 4.80000 | 10 | 1.00000 | 2 | 0.20000 | 60 | 6.00000 | 275.15900 | 57.82400 | 3.52700 | 336.51000 |
| 2 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा | हरिनगर सुगर मिल्स लि0, हरिनगर, प0 चम्पारण | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 48 | 4.80000 | 10 | 1.00000 | 2 | 0.20000 | 60 | 6.00000 | 508.22600 | 106.28800 | 6.45600 | 620.97000 |
| 3 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा | एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, लौरिया। | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 8 | 0.80000 | 2 | 0.20000 | 0 | 0.00000 | 10 | 1.00000 | 18.82300 | 3.38400 | 0.19900 | 22.40600 |
| 4 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया | जयश्री सुगर इण्डस्ट्रीज, मंझौलिया, प0 चम्पारण | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 42 | 4.20000 | 8 | 0.80000 | 0 | 0.00000 | 50 | 5.00000 | 251.91000 | 52.59200 | 3.03900 | 307.54100 |
| 5 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया | न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज, प0 चम्पारण | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 41 | 4.10000 | 9 | 0.90000 | 0 | 0.00000 | 50 | 5.00000 | 55.83900 | 10.86800 | 0.59900 | 67.30600 |
| 6 | सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी | एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, सुगौली | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 16 | 1.60000 | 4 | 0.40000 | 0 | 0.00000 | 20 | 2.00000 | 34.64600 | 6.76800 | 0.39800 | 41.81200 |
| 7 | सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज | भारत सुगर मिल, सिधवलिया | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 40 | 4.00000 | 10 | 1.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 5.00000 | 163.37200 | 34.88800 | 1.84500 | 200.10500 |
| 8 | सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज | विष्णु सुगर मिल्स लि0, गोपालगंज | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 40 | 4.00000 | 10 | 1.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 5.00000 | 347.79400 | 73.22400 | 4.25700 | 425.27500 |
| 10 | सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 11 | 1.10000 | 4 | 0.40000 | 0 | 0.00000 | 15 | 1.50000 | 89.51840 | 19.50720 | 1.10670 | 110.13230 |
| 11 | सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर | हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 50 | 5.00000 | 9 | 0.90000 | 1 | 0.10000 | 60 | 6.00000 | 70.17700 | 13.10800 | 0.51500 | 83.80000 |
| 12 | सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 8 | 0.80000 | 2 | 0.20000 | 0 | 0.00000 | 10 | 1.00000 | 22.81000 | 5.08000 | 0.24250 | 28.13250 |
| 13 | सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान | बजाज हिन्दुस्तान सुगर मिल, प्रतापपुर | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 8 | 0.80000 | 2 | 0.20000 | 0 | 0.00000 | 10 | 1.00000 | 13.40000 | 2.60000 | 0.00000 | 16.00000 |
| 14 | सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6 | 0.60000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 6 | 0.60000 | 7.37400 | 1.39200 | 0.08700 | 8.85300 |
| 15 | सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4 | 0.40000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 4 | 0.40000 | 11.26360 | 1.94880 | 0.12180 | 13.33420 |
| 16 | सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 8 | 0.80000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 8 | 0.80000 | 7.65820 | 1.34560 | 0.08410 | 9.08790 |
| 17 | सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 8 | 0.80000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 8 | 0.80000 | 7.01080 | 1.20640 | 0.07540 | 8.29260 |
| 18 | सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 8 | 0.80000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 8 | 0.80000 | 8.41480 | 1.50800 | 0.09280 | 10.01560 |
| 19 | सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा) | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 8 | 0.80000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 8 | 0.80000 | 3.98960 | 0.55680 | 0.03480 | 4.58120 |
| 20 | सहायक निदेशक, ईख विकास, गया | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5 | 0.50000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 5 | 0.50000 | 1.55660 | 0.16240 | 0.00870 | 1.72770 |
| 21 | सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 8 | 0.80000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 8 | 0.80000 | 7.82400 | 1.25280 | 0.08120 | 9.15800 |
| 22 | उप निदेशक, ईख विकास, पटना | – | 25.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 25.00000 | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 15.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 100.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 100.00000 |
| 23 | उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 30.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 30.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 30.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 30.00000 |
| 24 | उप निदेशक, ईख विकास, पूसा | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 15.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 21.17000 | 14.46000 | 3.83000 | 39.46000 |
| 25 | उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना | – | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 149.86400 | 15.63600 | 0.00000 | 165.50000 |
| | योग– | | 25.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 25.00000 | 60.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 60.00000 | 415 | 41.50000 | 80 | 8.00000 | 5 | 0.50000 | 500 | 50.00000 | 2207.80000 | 425.60000 | 26.60000 | 2660.00000 |

ईखायुक्त, बिहार।

P-2 for Sanction MGVY 24-25-4

परिशिष्ट–'3'

राज्य योजना अंतर्गत "मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2024–25 अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उनके सामने श्रेणीवार स्वीकृत राशि तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी का विवरणी।

| क्र0सं0 | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय का नाम | संबद्ध चीनी मिल का नाम | स्वीकृत राशि (लाख रू0 में) | | | | कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामान्य | अनु0 जाति | अनु0 जन जाति | योग | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा | तिरूपति सुगर मिल्स लि0, बगहा, प0 चम्पारण | 275.15900 | 57.82400 | 3.52700 | 336.51000 | कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण |
| 2 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा | हरिनगर सुगर मिल्स लि0, हरिनगर, प0 चम्पारण | 508.22600 | 106.28800 | 6.45600 | 620.97000 | कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण |
| 3 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा | एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, लौरिया। | 18.82300 | 3.38400 | 0.19900 | 22.40600 | कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण |
| 4 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया | जयश्री सुगर इण्डस्ट्रीज, मंझौलिया, प0 चम्पारण | 251.91000 | 52.59200 | 3.03900 | 307.54100 | कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण |
| 5 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया | न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज, प0 चम्पारण | 55.83900 | 10.86800 | 0.59900 | 67.30600 | कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण |
| 6 | सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी | एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, सुगौली | 34.64600 | 6.76800 | 0.39800 | 41.81200 | कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण |
| 7 | सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज | भारत सुगर मिल, सिधवलिया | 163.37200 | 34.88800 | 1.84500 | 200.10500 | कोषागार , गोपालगंज |
| 8 | सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज | विष्णु सुगर मिल्स लि0, गोपालगंज | 347.79400 | 73.22400 | 4.25700 | 425.27500 | कोषागार , गोपालगंज |
| 9 | सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी | – | 89.51840 | 19.50720 | 1.10670 | 110.13230 | कोषागार, सीतामढ़ी |
| 10 | सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर | हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर | 70.17700 | 13.10800 | 0.51500 | 83.80000 | कोषागार, समस्तीपुर |
| 11 | सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर | – | 22.81000 | 5.08000 | 0.24250 | 28.13250 | कोषागार, मुजफ्फरपुर |
| 12 | सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान | बजाज हिन्दुस्तान सुगर मिल, प्रतापपुर | 13.40000 | 2.60000 | 0.00000 | 16.00000 | कोषागार, सिवान |
| 13 | सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर | – | 7.37400 | 1.39200 | 0.08700 | 8.85300 | कोषागार, भागलपुर |
| 14 | सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा | – | 11.26360 | 1.94880 | 0.12180 | 13.33420 | कोषागार, दरभंगा |
| 15 | सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा | – | 7.65820 | 1.34560 | 0.08410 | 9.08790 | कोषागार, सहरसा |
| 16 | सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया | – | 7.01080 | 1.20640 | 0.07540 | 8.29260 | कोषागार, पूर्णियाँ |
| 17 | सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई | – | 8.41480 | 1.50800 | 0.09280 | 10.01560 | कोषागार, जमुई |
| 18 | सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा) | – | 3.98960 | 0.55680 | 0.03480 | 4.58120 | कोषागार, आरा (भोजपुर) |
| 19 | सहायक निदेशक, ईख विकास, गया | – | 1.55660 | 0.16240 | 0.00870 | 1.72770 | कोषागार, गया |
| 20 | सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना | – | 7.82400 | 1.25280 | 0.08120 | 9.15800 | कोषागार, पटना |
| 21 | उप निदेशक, ईख विकास, पटना | – | 100.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 100.00000 | कोषागार, पटना |
| 22 | उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी | – | 30.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 30.00000 | कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण |
| 23 | उप निदेशक, ईख विकास, पूसा | – | 21.17000 | 14.46000 | 3.83000 | 39.46000 | कोषागार, समस्तीपुर |
| 24 | उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना | | 149.86400 | 15.63600 | 0.00000 | 165.50000 | सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना |
| | योग– | – | 2207.80000 | 425.60000 | 26.60000 | 2660.00000 | |

ईखायुक्त, बिहार।

# परिशिष्ट–'4'

## वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य योजनांतर्गत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश।

गन्ना उद्योग विभाग द्वारा राज्य में गन्ने के उत्पादन एवं उत्पादकता तथा चीनी की रिकवरी में वृद्धि के उद्देश्य से गन्ना किसानों के हित में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत ईख विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में गन्ने की कुल 10 प्रभेदों यथा– CO-0238, CO-0118, CO-98014, COP-9301, CoP-112, CoP-16437 (Rajendra Ganna-I), COLK-94184, CoLK-12207, CoLK-12209, एवं Bo-153 की खेती को प्रोत्साहित करने एवं उस निमित्त ईख अनुसंधान संस्थान/गन्ना कृषकों को प्रोत्साहन/अनुदान की राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। संबंधित सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **बिहार वित्त संशोधित नियमावली एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों** का अनुपालन करते हुए योजनाओं का कार्यान्वयन करेंगे।

**(1) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु घटकवार निम्नवत् अनुदेश दिया जाता है–**

**(1.1)** **प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम**– प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन भारतीय ईख अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर द्वारा किया जाएगा। साथ ही ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा के द्वारा भी प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन कराया जाएगा। इस हेतु 2.50 लाख रू0 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किया गया है। संबंधित ईख अनुसंधान संस्थान द्वारा मुख्यालय, पटना को Pre-Receipt Bill एवं गत वर्ष का व्यय प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जाएगा। जिसके आधार पर मुख्यालय, पटना द्वारा स्वीकृत राशि के अधीन अनुमान्य राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जाएगा। कार्योपरांत इसका व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित उप/सहायक निदेशक, ईख विकास एवं संयुक्त निदेशक, ईख विकास द्वारा प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम का अनुश्रवण समय–समय पर किया जाएगा। इस हेतु एम0ओ0यू0 का नवीकरण किया जाएगा।

**(1.2)** **आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम**– राज्य में गुणवत्तायुक्त नवीनतम प्रभेद के बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आधार बीज उत्पादन पर अनुदान का प्रावधान किया गया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र–मोतीपुर/ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा से क्रय किए गए प्रजनक बीज से चीनी मिल क्षेत्र में आधार बीज उत्पादन करने वाले चीनी मिलों एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र में आधार बीज उत्पादन करने वाले कृषि विज्ञान केन्द्र (KVK)/कृषकों को 60,000/– रू0 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किया गया है। चीनी मिल अपने अथवा लीज पर लिए गए प्रक्षेत्र पर आधार बीज उत्पादन करेगें। चीनी मिल/गैर चीनी मिल क्षेत्र में लगाए गए आधार बीज का पर्यवेक्षण संबंधित के0भी0के0 के वैज्ञानिकों द्वारा कराना आवश्यक होगा। चीनी मिल/गैर चीनी मिल क्षेत्र के किसान को आधार बीज का प्रमाणिकरण बिहार राज्य बीज एवं आर्गेनिक प्रमाणन एजेन्सी (बसोका) से कराना अनिवार्य होगा।

प्रभारी पदाधिकारी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र–मोतीपुर वितरित किये गये प्रजनक बीज की मिलवार/कार्यालयवार विस्तृत विवरणी संबंधित उप एवं सहायक निदेशक, ईख विकास/बिहार राज्य बीज एवं आर्गेनिक प्रमाणन एजेन्सी (बसोका)/संबंधित के0भी0के0 एवं संयुक्त निदेशक, ईख विकास को उपलब्ध करायेंगे।

तद्नुरूप आधार बीज उत्पादन वाले खेत का मिलवार/कार्यालयवार पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/प्रभारी पदाधिकारी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र–मोतीपुर/बिहार राज्य बीज एवं आर्गेनिक प्रमाणन एजेन्सी (बसोका)/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संबंधित के0भी0के0/संबंधित उप एवं सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा किया जाएगा ताकि लगाए गए आधार बीज से समानुपातिक मात्रा में प्रमाणित बीज का उत्पादन सुनिश्चित हो सके।

**(1.3)** **प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम**– प्रमाणित बीज उत्पादक (चीनी मिल/वैसे किसान जो चीनी मिल से आधार बीज प्राप्त कर प्रामणित बीज का उत्पादन किये हो) को 50/– रू0 प्रति क्वींटल के दर से प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। प्रोत्साहन राशि उन्हें ही देय होगा जिनके नाम से LIR (Last Inspection Report) निर्गत होगा। इसकी जांच कर ही संबंधित चीनी मिल प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को सूची आवश्यक कागजात के साथ अग्रसारित करेंगें। चयनित 10 प्रभेदों के उत्पादित बीज को बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी से निबंधन कराना आवश्यक होगा। प्रगतिशील कृषकों द्वारा उत्पादित बीज का निबंधन किसी भी स्थिति में चीनी मिल अपने नाम से नहीं करायेगें तथा चीनी मिल अपने माध्यम से बीज उत्पादक द्वारा उत्पादित बीज का वितरण करायेंगे। चीनी मिल प्रमाणित बीज वितरण के विपत्र प्रस्तुत करते समय बीज प्राप्ति का स्रोत एवं मात्रा की सूची भी सहायक निदेशक को उपलब्ध करायेंगे। किसानों द्वारा बीज क्रय हेतु बीज का मूल्य वही होगा जो चीनी मिल द्वारा गन्ना क्रय हेतु निर्धारित है।

**(1.4)** **गन्ना के चयनित प्रभेदों के प्रमाणित बीज का अनुदानित दर पर वितरण एवं बीज क्रय अनुदान**–

(i) राज्य के लिए चयनित गन्ना के 10 प्रभेदों यथा– CO-0238, CO-0118, CO-98014, COP-9301, CoP-112, CoP-16437 (Rajendra Ganna-I), COLK-94184, CoLK-12207, CoLK-12209 एवं Bo-153 के निबंधित प्रमाणित बीज चीनी मिलों द्वारा किसानों के बीच वितरण किया जाएगा। निबंधित प्रमाणित बीज पर सामान्य वर्ग के किसानों को 210/– रू0 प्रति क्वींटल तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 240/– रू0 प्रति क्वींटल की दर से अनुदान देय है।

(ii) प्रमाणित बीज (Certified Seed) की उपलब्धता, गत वर्ष की योजना का उनके द्वारा किये गये उपयोग, उनके चीनी मिल का रिकवरी प्रतिशत, बसोका में निबंधन हेतु किए गए आवेदन संबंधी प्रतिवेदन के अनुरूप मिलवार/कार्यालयवार निर्धारित लक्ष्य स्वीकृत्यादेश में संलग्न है। प्रशासी विभाग के द्वारा मांग के अनुरूप अतिरिक्त उपलब्ध बीज की आपूर्ति एक मिल से दूसरे मिल को स्वीकृत/आवंटित की जा सकेगी।

(iii) प्रमाणित बीज का बीज प्रमाणीकरण एजेन्सी से प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा। प्रमाणित बीज का वितरण किसानों के बीच चीनी मिल क्षेत्र में मिल प्रबंधन एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र में सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय द्वारा किया जायेगा। बीज वितरण होने का प्रमाण–पत्र चीनी मिल एवं सहायक निदेशक, ईख विकास के प्रतिनिधि द्वारा अभ्यावेदन फार्म पर अंकित किया जायेगा।

(iv) बीज का वितरण **''पहले आओ पहले पाओ''** के आधार पर किया जाएगा।

(vi) इस योजनांतर्गत छोटे/सीमान्त एवं लघु कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी। एक गन्ना कृषक को **अधिकतम 2.50 एकड़** में लगाये गये गन्ने पर ही अनुदान राशि देय होगी। श्री पद्धति, ट्रेंचर एवं रिंग पिट विधि से बुआई करने वाले किसानों को अनुदान में प्राथमिकता दी जाएगी।

(vii) सहायक निदेशक, ईख विकास एवं उनके क्षेत्रीय कर्मी जांच कर यह सम्पुष्ट करेंगे की प्रमाणित बीज का ही उपयोग योजनांतर्गत गन्ने की खेती में किया गया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र–मोतीपुर/ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा वितरित प्रजनक बीज एवं चीनी मिल/किसानों द्वारा उत्पादित प्रमाणित बीज पर ही अनुदान देय होगा।

(viii) संबंधित चीनी मिल/सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा चयनित सूची को पंचायतों में प्रकाशित करवाया जायेगा। वहाँ आपत्ति भी आमंत्रित किये जायेंगे तथा प्राप्त आपत्तियों का निस्तार कराया जायेगा। इस हेतु संबंधित मुखिया को पंचायतराज अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा (15 दिनों) के अन्तर्गत आम सभा से अनुमोदन कराकर सूची को अन्तिम रूप देते हुए सहायक निदेशक, ईख विकास को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अनुशंसा नहीं प्राप्त होने की स्थिति में सूची को स्वतः अनुमोदित समझा जायेगा।

अनुमोदित आवेदन/सूची के किसानों को चयनित प्रभेद का प्रमाणित गन्ना बीज उपलब्ध करवाते हुए चीनी मिलें/सहायक निदेशक, ईख विकास अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों के देख–रेख में गन्ना लगवायेगी तथा विपत्र सहित पूर्ण विवरणी तैयार कर संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को अग्रसारित करेगी।

इसके उपरान्त संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास एवं कामदार/जनसेवक के द्वारा दिशानिर्देश के अनुरूप भौतिक सत्यापन/जाँच सम्पन्न कराया जायेगा।

भौतिक सत्यापन/जांच कार्य में आवश्यकतानुसार कृषि विभाग, बिहार के अधीन कार्यरत कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार से आवश्यकतानुसार सहयोग लिया जा सकेगा। इसके बाद अनुदान भुगतान हेतु अंतिम चयनित सूची, आवेदन, अभिश्रव, किसान के बैंक खाता संख्या, आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं अन्य आवश्यक कागजात के आधार पर सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा आवश्यक कार्रवाई किया जायेगा।

(ix) उपर्युक्त प्रक्रिया का पर्यवेक्षण क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित उप निदेशक, ईख विकास द्वारा एवं मुख्यालय स्तर से भी समय–समय पर इसका पर्यवेक्षण किया जाएगा।

(x) गन्ने का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए चयनित प्रभेद की बीज किसानों को उपलब्ध कराने हेतु त्रिस्तरीय बीज गुणन की प्रक्रिया के तहत प्रजनक बीज, आधार बीज एवं प्रमाणित बीज उत्पादन का कार्यक्रम समावेशित किया गया है ताकि किसानों के बीच चयनित प्रभेदों के गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम–1981 की धारा–38 अंतर्गत गन्ना के प्रमाणित बीज का वैधिक रूप से उत्पादन प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उनके पास उपलब्ध आधार बीज से किया जायेगा। चयनित प्रभेद के उत्पादित प्रमाणित बीज ही इस योजनांतर्गत क्षेत्र के किसानों को संबंधित मिलों द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगीः–

(i) चीनी मिलों द्वारा रोप वर्ष 2024–25 में अपने आरक्षित क्षेत्र में लगाये जाने वाले आधार बीज एवं प्रमाणित बीज का निर्धारित वैधिक प्रक्रिया से प्रमाणिकरण जिले में पदस्थापित बिहार राज्य बीज एवं आर्गेनिक प्रमाणन एजेन्सी (बसोका) के बीज निरीक्षक के माध्यम से करवाया जायेगा एवं उस हेतु बीज निरीक्षक द्वारा लगाये गये गन्ने के फसल के जांच के उपरान्त उनसे First Inspection Report (FIR) एवं Last Inspection Report (LIR) प्राप्त कर चीनी मिल में संधारित की जायेगी। प्राप्त Last Inspection Report (LIR) की छायाप्रति संक्षिप्त प्रतिवेदन सहित संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास, उप निदेशक, ईख विकास एवं ईखायुक्त, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करवाया जायेगा। उपलब्ध प्रमाणित बीज के वितरण का पूर्ण विवरण चीनी मिलों द्वारा अभिरक्षित की जायेगी एवं कृषकों को अनुदान भुगतान के क्रम में उनके विपत्रों पर आवश्यक आँकड़े एवं तथ्य स्पष्ट रूप से अंकित किये जायेंगे।

**(ii)** आगामी रोप वर्ष 2024–25 के लिए चीनी मिलों के आरक्षित क्षेत्र अंतर्गत मिल फार्म/कृषक फार्म में उपलब्ध प्रमाणित बीज (जिस हेतु बीज निरीक्षक द्वारा LIR निर्गत है) को चीनी मिलों द्वारा Operating Agency के रूप में इस योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले कृषकों के बीच वितरण किया जा सकेगा।

**(iii)** गैर चीनी मिल क्षेत्र में आधार बीज/प्रमाणित बीज का निर्धारित वैधिक प्रक्रिया से प्रमाणिकरण क्षेत्र के लिए पदस्थापित बिहार राज्य बीज एवं आर्गेनिक प्रमाणन एजेन्सी (बसोका) के बीज निरीक्षक के माध्यम से बीज उत्पादक किसानों द्वारा करवाया जायेगा एवं प्राप्त Last Inspection Report (LIR) की छायाप्रति संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा। अपने क्षेत्रांतर्गत लगाये गये प्रमाणित बीज का पूर्ण

विवरण (LIR की प्रति सहित) को संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा ईखायुक्त, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) प्रजनक, आधार एवं प्रमाणित बीज पौधशाला के खेत/फार्म गेट पर डिस्प्ले बोर्ड में निम्न सूचना अंकित किया जायेगा– **1.** प्रक्षेत्र का नाम **2.** उप प्रक्षेत्र का नाम **3.** गन्ना रकवा का विवरण **4.** लगायी गयी बीज का प्रकार (प्रजनक/आधार/प्रमाणित) **5.** बीज का स्रोत **6.** प्रभेद का नाम **7.** बुवाई की तिथि एवं प्लॉट का रकवा चौहद्दी के साथ **8.** संभावित कटनी की तिथि। संबंधित गन्ना संस्थान, चीनी मिल, सहायक निदेशक, ईख विकास एवं ईख पदाधिकारी द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही प्रजनक, आधार एवं प्रमाणित बीज का वितरण के पूर्व प्रभेदवार फसल कटनी प्रयोग संबंधित गन्ना संस्थान, चीनी मिल, सहायक निदेशक, ईख विकास एवं ईख पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगें। इसके अलावे प्रजनक, आधार एवं प्रमाणित बीजों को ऊँची (Upland) एवं जल निकासी वाली जमीन पर लगाना भी सुनिश्चित करेंगें।

**(1.5)** **<u>गन्ना के साथ प्रमाणित बीज से मसूर/राई/सरसों की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान</u>** – गन्ना के साथ मसूर/राई/सरसों के प्रमाणित बीज से की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान बीज मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 800 रू0 प्रति एकड की दर से राशि का प्रावधान किया गया है। **इस योजना का लाभ किसानों/लाभार्थी को अधिकतम 01 (एक) एकड़ के लिए देय होगा।** गन्ना के साथ अंतरवर्ती खेती हेतु मसूर/राई/सरसों का प्रमाणित बीज बिहार राज्य बीज निगम (BRBN)/कृषि विज्ञान केन्द्र/राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) के माध्यम से चीनी मिलों को उपलब्ध कराया जाएगा एवं इसकी सूचना संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास तथा संयुक्त निदेशक, ईख विकास, बिहार, पटना को दिया जाएगा। BRBN/कृषि विज्ञान केन्द्र/राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) द्वारा उपलब्ध कराए गए मसूर/राई/सरसों के प्रमाणित बीज को संबंधित चीनी मिलों द्वारा गन्ना के चयनित प्रभेद के प्रमाणित बीज क्रय कर खेती करने वाले कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। चीनी मिल किसानों से मसूर/राई/सरसों बीज के कुल मूल्य की राशि में से अनुदान की राशि को घटाकर शेष राशि प्राप्त करेंगें तथा उस राशि को संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के माध्यम से BRBN/कृषि विज्ञान केन्द्र/राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) को उपलब्ध कराया जाएगा। अनुदान की राशि का भुगतान BRBN/कृषि विज्ञान केन्द्र/राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) को किया जाएगा। इस प्रकार BRBN/कृषि विज्ञान केन्द्र/राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) को बीज मूल्य का पूर्ण राशि का भुगतान प्राप्त हो जाएगा। योजना कार्यान्वयन हेतु अनुदानित राशि का दावा BRBN/कृषि विज्ञान केन्द्र/राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) द्वारा संबंधित चीनी मिल को उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित चीनी मिल द्वारा प्राप्त विपत्र की अनुमान्यता को जांचोपरान्त सम्पुष्ट कर किसानों की प्रमाणित सूची एवं आवश्यक विवरण के साथ संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास BRBN/कृषि विज्ञान केन्द्र/राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) द्वारा पूर्व उपलब्ध करायी गयी मात्रा के अनुरूप विपत्र के दावों की जांच कर BRBN/कृषि विज्ञान केन्द्र/राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) को CFMS के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाएगा।

**(1.6)** **<u>गन्ना के साथ प्रमाणित बीज से गर्मा मूंग फसलों की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान</u>**– गन्ना के साथ गर्मा मूंग के प्रमाणित बीज से अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान बीज मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 8,00 रू0 प्रति एकड की दर से राशि का प्रावधान किया गया है। शेष, कंडिका–1.5 में अंकित अनुदेश के अनुरूप विपत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

**(1.7)** **गन्ना फसल को बोरर कीट एवं अन्य कीटों तथा बिमारियों से बचाव हेतु कीटनाशक/फफूंदनाशक रसायन के प्रयोग पर गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान**– गन्ना फसल को बोरर कीट एवं अन्य कीटों तथा बिमारियों से बचाव हेतु कीटनाशक/फफूंदनाशक रसायन के प्रयोग पर उसके मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 2,500 रू0 प्रति हे0 के दर से गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया गया है। **इस योजना का लाभ किसानों को अधिकतम 2.5 एकड़ (01 हेक्टेयर) के लिए देय होगा।** योजना स्वीकृति के पूर्व एवं उपरांत यानि पूरे वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक) के अन्दर कीटनाशक दवा का क्रय अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता से करने पर जी0एस0टी0 युक्त अभिश्रव पर अनुदान अनुमान्य होगा।

**(1.8)** **कार्बनिक खाद (बॉयो कम्पोस्ट) के क्रय पर अनुदान**– कार्बनिक खाद (बॉयो कम्पोस्ट) के क्रय पर अनुदान मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 150 रू0 प्रति क्वी0 (25 क्वीं0 प्रति हे0) यानि 3750 रू0 प्रति हे0 के दर से गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया गया है। **इस योजना का लाभ किसानों को अधिकतम 2.5 एकड़ के लिए देय होगा।** कार्बनिक खाद (बॉयो कम्पोस्ट) का क्रय अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता से प्राप्त जी0एस0टी0 युक्त अभिश्रव पर ही अनुदान अनुमान्य होगा।

**(1.9)** **बड चिप/सिंगल बड पद्धति से नर्सरी तैयार कर गन्ना रोपाई का प्रत्यक्षण**– इस योजना का मुख्य उद्देश्य यथा– बीज दर में कमी, अंकुरण की क्षमता में वृद्धि, कल्ला एवं पेराई योग्य गन्नों की संख्या में वृद्धि, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, खेती की लागत में कमी एवं आमदनी में वृद्धि करना है। बड चिप/सिंगल बड पद्धति से नर्सरी तैयार कर गन्ना रोपाई का प्रत्यक्षण 10000 पौध प्रति एकड़ अधिकतम 15,000 रू0 प्रति प्रत्यक्षण के दर से राशि का प्रावधान किया गया है।

**इस योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगी–**

(i) इस योजना का लाभ बड चिप/सिंगल बड पद्धति से बीज तैयार करने वाले गन्ना किसानों को देय होगा।

(ii) **एक किसान को अधिकतम एक एकड़ के लिए ही प्रत्यक्षण का लाभ दिया जाएगा।**

(iii) बीज तैयार करने हेतु ईच्छुक गन्ना किसान इस योजनांतर्गत चिन्हित 10 गन्ना प्रभेदों के प्रमाणित बीज का क्रय संबंधित चीनी मिलों के माध्यम से करेगें।

(iv) संबंधित चीनी मिलों के देखरेख में किसान बड चिप/सिंगल बड पद्धति से बीज तैयार करेंगें एवं अपने खेत में उक्त बीज का उपयोग करेंगें। इसके उपरान्त गन्ना किसान अनुदान भुगतान हेतु अपना आवेदन पत्र अन्य आवश्यक कागजात यथा प्रमाणित बीज क्रय का अभिश्रव/तैयार किए गए बीज एवं तदोपरान्त अपने खेत में लगाये गए बीज का फोटोग्राफ (चीनी मिल के प्रतिनिधि एवं किसान के साथ) सहित संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय में समर्पित किया जाएगा। प्रमाणित बीज क्रय के अभिश्रव का उपयोग केवल सहायक कागजात के रूप में किया जाएगा तथा इस अभिश्रव पर कंडिका– 1.4 (प्रमाणित बीज का अनुदानित दर पर वितरण एवं बीज क्रय अनुदान) के तहत अनुदान देय नहीं होगा। इसकी पूर्णतः जवाबदेही संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास की होगी।

(v) इसके उपरान्त सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय द्वारा संबंधित चीनी मिल से इसका सत्यापन कराया जाएगा एवं चीनी मिल द्वारा सत्यापनोपरान्त आवेदन पत्र पर अनुदान भुगतान की अनुशंसा करते हुए पुनः आवेदन एवं अन्य कागजात संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

(vi) तदोपरान्त संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा भी अपने स्तर से जाँचोपरान्त अनुदान भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई करते हुए लाभान्वित कृषकों को उनके द्वारा दिए गए बैंक खाते में CFMS के माध्यम से अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा।

**(1.10)** <u>SRI, Pusa **द्वारा " Monitoring and Advisory Services for Sugarcane in Bihar (MAAS) " के कार्यान्वयन हेतु प्रथम वर्ष के लिए राशि**</u>– ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा उनके पत्रांक–47 दिनांक–25.05.2024 के माध्यम से Monitoring and Advisory Services for Sugarcane in Bihar (MAAS) " के कार्यान्वयन हेतु समर्पित प्रस्ताव के आलोक में कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा गन्ना की खेती करने वाले कृषकों को खूँटी प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन, अंतरवर्ती खेती एवं नवीनतम तकनीक इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि गन्ना का उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सके। ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा उप निदेशक, ईख विकास, पूसा को Pre-Receipt Bill समर्पित किया जाएगा। जिसके आधार पर उप निदेशक, ईख विकास, पूसा द्वारा स्वीकृत राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जाएगा। कार्योपरांत इसका व्यय एवं फलाफल प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा उप निदेशक, ईख विकास, पूसा को उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अनुश्रवण का पूर्ण दायित्व उप निदेशक, ईख विकास, पूसा का होगा। इसका पर्यवेक्षण ईखायुक्त, बिहार द्वारा नामित विभागीय पदाधिकारी के द्वारा भी किया जाएगा।

**(1.11)** <u>**NIC, Patna द्वारा विकसित किए जा रहे " Design & Development of Sugarcane Management Portal " के Maintanance & Add-on Services हेतु प्रावधानित राशि**</u>– NIC, Patna के द्वारा विकसित किए जा रहे Design & Development of Sugarcane Management Portal के Maintanance & Add-on Services हेतु इस वित्तीय वर्ष में 78.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

**(2.1)** <u>**एकदिवसीय राज्यस्तरीय सेमिनार/कार्यशाला @ 30.00 लाख रू0 प्रति सेमिनार**</u> – गन्ना उत्पादक कृषकों को नवीनतम तकनीक से गन्ना खेती की जानकारी के साथ उनके बौद्धिक संवर्द्धन हेतु 02 एकदिवसीय राज्यस्तरीय सेमिनार/कार्यशाला आयोजित किया जाना प्रावधानित है, जिसके लिए प्रति सेमिनार 30.00 लाख रू0 (तीस लाख रू0) कर्णांकित किया गया है। राज्यस्तरीय सेमिनार एकदिवसीय होगा। सेमिनार का आयोजन सरकार द्वारा चयनित स्थल पर किया जाएगा। राज्यस्तरीय सेमिनार के आयोजन हेतु आयोजक के रूप में ऐसे संस्थान जिन्हें राज्यस्तरीय सेमिनार के आयोजन का पूर्व अनुभव हो, को उनके कार्य अनुभव के आधार पर प्राथमिकता देते हुए उनसे सेमिनार का आयोजन कराया जायेगा। राज्यस्तरीय सेमिनार हेतु कर्णांकित राशि 30.00 लाख रू0 (तीस लाख रू0) के अंतर्गत ही व्यय किया जाएगा। चयनित आयोजक के द्वारा सम्पूर्ण कार्यक्रम का विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराना तथा इसकी एक प्रति मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए नोडल पदाधिकारी संयुक्त निदेशक, ईख विकास होगें। नोडल पदाधिकारी सेमिनार के आयोजन हेतु चयनित फर्म एवं विभाग के मध्य सभी तैयारियाँ हेतु समन्वयक होगें। नोडल पदाधिकारी के स्तर से सेमिनार कार्यक्रम के लिए मिनट–टू–मिनट कार्यक्रम तैयार कराया जाएगा। कार्यक्रम सम्पादन के उपरांत चयनित फर्म द्वारा समर्पित अभिश्रवों के आधार पर विभाग द्वारा इस मद में आवंटित राशि की निकासी उप निदेशक, ईख विकास, पटना–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से की जा सकेगी।

**(2.2)** <u>**विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में भ्रमण एवं प्रशिक्षण**</u> – उप निदेशक, ईख विकास, पटना विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु समन्वयक पदाधिकारी होंगे। भ्रमण का स्थल यथा– VSI, Pune/SBI, Coimbatore/SBI, Karnal/SBI, Seorahi/ NSI, Kanpur/IISR, Lucknow एवं अन्य गन्ना संस्थान होगा। उप निदेशक, ईख विकास, पटना विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय से प्राप्त पत्र के आलोक में यथानिदेशित संस्थान से समन्वय कर भ्रमण संबंधी प्रस्ताव तैयार कर ईखायुक्त, बिहार को उपलब्ध करायेगें तथा समर्पित प्रस्ताव पर संयुक्त निदेशक, ईख विकास के द्वारा सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु कुल 25.00 लाख रू0 प्रावधानित है। इस राशि की निकासी उप निदेशक, ईख विकास, पटना द्वारा किया जाएगा एवं संबंधित को CFMS के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

(2.3) **<u>प्रगतिशील गन्ना कृषकों का (20 किसानों का दल) 7–10 दिवस के लिए तीन लाख रू0 प्रति प्रशिक्षण की दर से राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण–</u>** उप निदेशक, ईख विकास, पटना, मोतिहारी एवं पूसा प्रगतिशील गन्ना कृषकों का अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण हेतु नोडल पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। इसके अतिरिक्त एक कर्मी उप निदेशक, ईख विकास के सहयोग एवं किसानों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु प्रत्येक कृषक दल के साथ प्रशिक्षण स्थल तक जाएंगे। कर्मियों के यात्रा पर हुए व्यय का भुगतान योजना की बचत राशि से अथवा बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के तहत् किया जाएगा। प्रशिक्षण स्थल यथा– VSI, Pune/SBI, Coimbatore/SBI, Karnal/SBI, Seorahi/ NSI, Kanpur/IISR, Lucknow एवं अन्य गन्ना संस्थान होगा। उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी एवं पूसा अपने–अपने क्षेत्रांर्गत चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र के प्रगतिशील गन्ना कृषकों तथा उप निदेशक, ईख विकास, पटना अपने क्षेत्रांर्गत प्रगतिशील गन्ना किसानों के अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेगें एवं उसपर ईखायुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। प्रगतिशील किसान का चयन संबंधित चीनी मिल एवं उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी/पूसा द्वारा संयुक्त रूप से तथा उप निदेशक, ईख विकास, पटना द्वारा अपने स्तर से किया जाएगा। 20 किसानों का दल के 7–10 दिवस के लिए 20 एक्सपोजर विजिट हेतु कुल 60.00 लाख रू0 राशि प्रावधानित है। उप निदेशक, ईख विकास, पटना/मोतिहारी/पूसा द्वारा एक्सपोजर विजिट के उपरांत अभिश्रव के आधार पर संबंधित कोषागार से राशि निकासी कर संबंधित को CFMS के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

(2.4) **<u>40 कृषकों के लिए एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण</u>** – 40 गन्ना कृषकों के लिए 10,000 रू0/प्रशिक्षण की दर से कुल 500 एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायत/प्रखण्ड स्तर पर आयोजित किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा एवं मोतीपुर के वैज्ञानिक/के0भी0के0 के वैज्ञानिक/गन्ना उद्योग के पदाधिकारियों/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिसमें प्रशिक्षण हेतु वैज्ञानिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण को संबद्ध कर एक साथ कराया जा सकता है। प्रशिक्षण मद के विवरण की क्र0सं0–1 से 5 में से बचत की राशि से अतिरिक्त कृषकों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन चीनी मिल एवं संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा संयुक्त रूप से कराया जाएगा। गैर चीनी मिल क्षेत्र के सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा स्वयं/के0भी0के0 के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कराया जा सकेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला हेतु उपयोग में लाने जाने वाले सामग्रियों का क्रय बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप किया जाएगा। सामान्यतः ऐसे स्थान पर प्रशिक्षण कराया जाय जिसमें टेंट एवं सामियाना की आवश्यकता नहीं हो। विशेष परिस्थिति में ही टेंट एवं सामियाना का उपयोग किया जा सकेगा। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले किसानों को मोबाइल नंबर के साथ, स्व–प्रमाणित आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ प्रशिक्षण में भाग लेना होगा।

**<u>40 कृषक प्रशिक्षण पर अनुमानित व्यय का विवरण–</u>**

| क्र0सं0 | अवयव | दर (रू0 में) | कुल राशि (रू0 में) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पेन, पैड, फोल्डर | 50.00 | 2,000.00 | क्रमांक–1 से 5 में से क्रमांक 4 के अवयव को छोड़कर अवयव पर होने वाले व्यय में आवश्यकतानुरूप फेरबदल किया जा सकता है। |
| 2. | अल्पाहार | 50.00 | 2,000.00 | |
| 3. | ध्वनिविदारक यंत्र इत्यादि | – | 500.00 | |
| 4. | दो विशेषज्ञ/वैज्ञानिकों का मानदेय | 1000.00 | 2,000.00 | |
| 5. | आकस्मिकता<br>(बैनर, फोटोग्राफी, भाड़े का वाहन इत्यादि) | – | 3,500.00 | |
| | योग– | | 10,000.00 | |

ईखायुक्त, बिहार।

## परिशिष्ट–5

## मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम (2024–25) के तहत अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन–पत्र

आवेदक का क्रमांक–............... दिनांक–........................ वित्तीय वर्ष–......................... (कार्यालय / मिल द्वारा भरा जायेगा)

| आवेदक का स्वहस्ताक्षरित फोटो |
|---|

सेवा में,

**सहायक निदेशक, ईख विकास, ...............।**
**माध्यम– ईख प्रबंधक, ................................... चीनी मिल / ..................... गुड़ खांडसारी मिल**

निवेदनपूर्वक सूचित करना है कि मैं ................................................... पिता / पति ..............................................ग्राम (थाना नं0 सहित)–................................ पंचायत–....................................... अंचल–......................... जिला–.................... मोबाईल नं0–.................................. जो .......................................... चीनी मिल को आरक्षित है / मुक्त क्षेत्र है का गन्ना उत्पादक किसान हूँ। मेरा किसान कोड नं0 ...................... .... एवं वर्ष 2023–24 में जी0पी0एस0 द्वारा कराये गये सर्वे का रकवा ........................ है। मेरे ....................................... बैंक के पासबुक का खाता संख्या ...................................... है, जिसका IFSC कोड .............................. है।

मैं राज्य सरकार द्वारा चयनित गन्ना प्रभेद के प्रमाणित बीज से गन्ने की खेती किया हूँ / करूँगा। मैं मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत ईख बीज क्रय अनुदान / कीटनाशक / फफूंदनाशक रसायन / कार्बनिक उर्वरक (बॉयो कम्पोस्ट) के क्रय पर अनुदान / मसूर, मूंग के अंतरवर्ती खेती पर अनुदान का लाभ प्राप्त करना चाहता हूँ।

1. मैं ग्राम .................................. अंचल ................................ में स्थित अपने खेत / श्री .................................. से लीज पर लिये गये ............................ एकड़ खेत में ......................... प्रभेद के प्रमाणित बीज (चयनित 10 प्रभेदों में एक प्रभेद) के गन्ने की खेती हेतु ................. मिल के फार्म से .................. क्वींटल बीज प्राप्त करना चाहता हूँ / प्राप्त कर गन्ने की खेती किया हूँ। चीनी मिल से प्रमाणित बीज प्राप्ति का रसीद अनुलग्न है / नहीं है।

2. मैं अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता कीटनाशक / फफूंदनाशक रसायन / कार्बनिक उर्वरक (बॉयो कम्पोस्ट) का क्रय किया हूँ, जिसपर भी अनुदान का लाभ प्राप्त करना चाहता हूँ। रसीद अनुलग्न है।

3. मैं कुल ................. एकड़ में गन्ना फसल लगाया हूँ, उसमें से ............. एकड़ में अंतरवर्ती के रूप में मसूर (शरद रोप में) अथवा मूंग (वसंत रोप) की खेती हेतु .................. चीनी मिल से ............ क्वीं0 बीज प्राप्त कर अंतरवर्ती खेती किया हूँ। चीनी मिल द्वारा मुझे अनुदान की राशि का छूट देकर शेष राशि प्राप्त कर बीज उपलब्ध कराया गया है। बीज प्राप्ति का रसीद अनुलग्न है।

- कृषक का कोटि (उपयुक्त कोटि में चिन्ह लगायें)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य | ☐ | अनुसूचित जाति | ☐ | अनुसूचित जनजाति | ☐ | पिछड़ी जाति | ☐ |
| अत्यंत पिछड़ी जाति | ☐ | अल्पसंख्यक / बहुसंख्यक | ☐ | महिला / पुरूष | ☐ | | |

- कृषक का वर्ग– लघु / सीमान्त / अन्य
- कृषक के पहचान हेतु आधार कार्ड / निर्वाचन फोटो कार्ड / ड्राइविंग लाईसेंस / राशन कार्ड इत्यादि एवं बैंक खाता संख्या दर्शाते हुए बैंक के नाम के साथ पासबुक की छायाप्रति अनुलग्न कर रहा हूँ।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति हेतु जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति (लागू होने पर अनुलग्न करें)।

मैं वैज्ञानिक विधि से गन्ने की खेती करूँगा / किया हूँ। आपके चीनी मिल द्वारा उपलब्ध कराये गये चयनित प्रभेद के गन्ना प्रमाणित बीज एवं क्रय किये गये कीटनाशक / फफूंदनाशक रसायन / कार्बनिक उर्वरक (बॉयो कम्पोस्ट) / अंतरवर्ती खेती हेतु–मसूर / राई / सरसों / मूंग के बीज का उपयोग अपने गन्ने की खेती में किया हूँ / करूँगा। मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सभी जानकारी सही है तथा दी गई उपरोक्त जानकारी में किसी प्रकार की गलती पाये जाने पर गन्ना उद्योग विभाग, बिहार मेरे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकेगी।

**किसान (आवेदक) का नाम, हस्ताक्षर एवं तिथि**

### अनुशंसा

मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना अंतर्गत उन्नत ...................... प्रभेद के प्रमाणित बीज से गन्ने की अनुदानित दर पर खेती हेतु श्री ...................................... पिता / पति ............................................. पंचायत.............................. अंचल ........................... जिला............................... के नाम की अनुशंसा की जाती है।

**नोट– गैर मिल क्षेत्र का अभ्यावेदन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को समर्पित किये जाये।**

**ईख प्रबंधक / उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर एवं तिथि**

---

### प्राप्ति रसीद

आवेदन क्रमांक– ............................................... दिनांक– ............................................ वित्तीय वर्ष ......................................

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत 10 चयनित प्रभेद में से .................. प्रभेद के प्रमाणित गन्ना बीज से गन्ने की खेती करते हुए ईख बीज अनुदान / कीटनाशक / फफूंदनाशक रसायन / कार्बनिक उर्वरक (बॉयो कम्पोस्ट) के क्रय पर अनुदान / मसूर, मूंग के अंतरवर्ती खेती पर अनुदान की प्राप्ति से संबंधित श्री ...................................... पिता / पति का नाम ........................ ......................... ग्राम .............................. पंचायत ........................... प्रखण्ड ................................. जिला .........................का अभ्यावेदन प्राप्त किया।

दिनांक– ..............................

**चीनी मिल के प्रबंधक / प्राधिकृत कर्मी का हस्ताक्षर एवं तिथि**

परिशिष्ट–6

# गन्ना बीज विक्रय कैश मेमो

क्रम संख्या–......................

तिथि–..................................

चीनी मिल का नाम .............................................................................................................................................

तौल पर्ची– कांटा का नाम ........................................................................................ स्थान.............................................

| क्रेता का नाम | क्रेता के पिता का नाम | ग्राम | प्रखण्ड |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

| प्रभेद | क्रेता का मोबाईल नं0 | बीज की मात्रा | दर | कुल मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | |
| क्रेता द्वारा भुगतान की गई राशि– | | | | |
| अनुदान की राशि– @ 210 रू0 प्रति क्वीं0 या 240 रू0 प्रति क्वीं0 | | | | |

क्रेता हस्ताक्षर

विक्रेता का हस्ताक्षर

मो0 नं0–..............................

क्षेत्रीय कर्मचारी का हस्ताक्षर एवं तिथि

ईख प्रबंधक का हस्ताक्षर मुहर एवं तिथि

सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय द्वारा सत्यापन

भौतिक सत्यापन करने वाले कर्मी/पदाधिकारी का नाम/पदनाम तथा हस्ताक्षर एवं तिथि

लेखापाल कार्यालय– सहायक निदेशक, ईख विकास का हस्ताक्षर एवं तिथि

सहायक निदेशक, ईख विकास का हस्ताक्षर एवं तिथि

MGVY form other-4

## परिशिष्ट–7

# प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु रसीद

1. चीनी मिल का नाम–
2. बीज उत्पादक का नाम–
3. चीनी मिल को आपूरित गन्ना बीज की मात्रा–
4. चीनी मिल को आपूरित प्रमाणित गन्ना बीज का प्रभेद–
5. बीज उत्पाद द्वारा आपूरित प्रमाणित गन्ना बीज का बसोका से निबंधित रकवा एवं निबंधन संख्या–
6. आपूरित प्रमाणित गन्ना बीज का दर–
7. आपूरित प्रमाणित गन्ना बीज का कुल मूल्य–
8. गन्ना उद्योग विभाग द्वारा देय प्रोत्साहन राशि @ 50/– रू0 प्रति क्वींटल–

प्रमाणित किया जाता है कि कुल ............................... क्वींटल बीज का वितरण किया गया है, प्रोत्साहन अनुदान भुगतान करने की कृपा की जाय।

**बीज उत्पादक का हस्ताक्षर**

**चीनी मिल ईख प्रबंधक का हस्ताक्षर**

**सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय द्वारा सत्यापन**

**भौतिक सत्यापन करने वाले कर्मी/पदाधिकारी का नाम/पदनाम तथा हस्ताक्षर एवं तिथि**

**लेखापाल कार्यालय– सहायक निदेशक, ईख विकास का हस्ताक्षर एवं तिथि**

**सहायक निदेशक, ईख विकास का हस्ताक्षर एवं तिथि**

MGVY form other-4